पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांकः 890/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी–4 दिनांकः 28.04.2021

विषय :–कोरोना वायरस (Covid-19) रोकथाम के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता
पिटकुल..................।

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 895/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी–4 दिनांक 25.04.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कोरोना वायरस (Covid-19) के बढते संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत कारपोरेशन कार्यों के निष्पादन एवं कार्यालयों (विद्युत उपसंस्थान एवं लाईनों के परिचालन एवं अनुरक्षण एवं प्रान्तीय भार निस्तारण केन्द्र से जुड़े कार्मिकों को छोड़ते हुये) को दिनांक 28.04.2021 तक बन्द रखे जाने हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

उक्त के क्रम में मुझे हुये निदेशों के अनुपालन में आपको जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या 3424/सीपीओ–डीएम–2021 दिनांक 25.04.2021 की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

इस सम्बन्ध में मुझे आपको यह कहने का भी निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी, देहरादून के अतिरिक्त अन्य सम्बन्धित जिलाधिकारियों के आदेश सम्बन्धित जिलों में यथावत लागू होंगे।

उपरोक्त के साथ–साथ विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाये रखना हमारा प्रथम दायित्व है, जिसका प्रत्येक दशा में पालन करना अनिवार्य होगा।

सलग्नकः–यथोपरि।

(ए0के0 जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)

पत्रांकः /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी–4 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सहायक/डी0ई0ओ0–निदेशक (परिचालन)/(परियोजना)/(मा0सं0)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता (सम्बद्ध), कार्यालय–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को संलग्नकों सहित पिटकुल की वैबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

सलग्नकः–यथोपरि।

(ए0के0 जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)

::आदेश::

कोविड–19 संक्रमण में हो रही निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप जन–सुरक्षा हित में यह निर्णय लिया जाना आवश्यक हो गया है। अतः Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 एवं Epidemic Diseases Act 1897 सपठित दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–144 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव, जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून पूर्व पारित आदेशो में आंशिक संशोधन करते हुए जनपद **देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट और क्लेमनटाऊन के क्षेत्र हेतु** निम्नवत आदेश निर्गत करता हूं:–

1– दिनांक 26 अप्रैल 2021 (सोमवार) की सांय 07 बजे से दिनांक 03 मई 2021(सोमवार) प्रातः 05 बजे तक जनपद देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट और क्लेमनटाऊन के क्षेत्रान्तर्गत पूर्णतः **कोरोना कर्फ्यू** रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा।

2–उक्त **कोरोना कर्फ्यू** अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुडे दुकानो व वाहनो को सशर्त छूट निम्न प्रकार से रहेगी:–

- फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट–मछली (वैध लाईसेंसधारी) की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने तथा पशुचारा की दुकाने अपरान्ह 04 बजे तक ही खुली रह सकेगी ।
- पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी।
- आवश्यक सेवा से जुडे वाहनो तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी।
- हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
- शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल/सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहो से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही हो सकेंगे ।
- सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी।
- औद्योगिक इकाईयो, तथा इनके वाहन व कार्मिको को आने–जाने की छूट होगी।
- रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानो से होम डिलवरी में छूट रहेगी ।
- शव यात्रा से संबंधित वाहनो को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नही हो सकेंगे।
- केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयो को छोड़कर) बन्द रहेंगे।
- मालवाहक वाहनो के आवागमन में छूट रहेगी।
- वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियो के वाहनो को आवागमन में छूट होगी।
- कोविड–19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
- पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे।
- दिनांक 26.04.2021 को बाजार सांय 05 बजे तक खुले रहेंगे तथा सांय 07 बजे से पूर्व की भाँति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।
- जनपद देहरादून के अन्य स्थानो पर पूर्व आदेश संख्याः 3391/सीपीओ–डीएम–2021, दिनांक 21.04.2021 यथावत लागू रहेगा।

3– कोविड–19 संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु समय–समय पर जारी भारत सरकार/उत्तराखण्ड शासन तथा जिला प्रशासन के दिशा–निर्देशो का अनुपालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 व Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमो की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

4– उपरोक्त के संबंध में मेरा समाधान हो गया है तथा इतना समय नही कि दूसरे पक्ष को भी सुना जा सके । इसलिए जन–सुरक्षा हित में एकपक्षीय आदेश आज दिनांक 25.4.2021 को मेरे हस्ताक्षरों व कार्यालय मुहर से जारी किया गया है कि उक्त निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव)
जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

कार्यालय–जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

संख्या :3424/सीपीओ–डीएम–2021 दिनांक :25,अप्रैल, 2021

प्रतिलिपिः–

1– मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
2– अपर मुख्य सचिव महोदया, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ।
3– सचिव महोदय, गृह, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
4– सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
5– आयुक्त महोदय,गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को सादर सूचनार्थ।
6– समस्त जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
7– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून/संबंधित थानाध्यक्ष को उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु ।
8– मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
9– नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून/ऋषिकेश/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छावनी परिषद गढ़ीकैन्ट/क्लेमनटाउन ।
10–अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रशासन, देहरादून।
11–उप जिला मजिस्ट्रेट ऋषिकेश/देहरादून/नगर मजिस्ट्रेट देहरादून।
12–मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13–जिला सूचना अधिकारी, देहरादून को जन सामान्य के संज्ञानार्थ समाचार पत्रो में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
14–अन्य सभी सम्बन्धितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून।